

शंकरि प्रसाद मामला और पहला संशोधन अधिनियम

प्रलिस के लयि:

[पहला संशोधन अधिनियम, 1951](#), [संपत्तिका अधकार](#), [नौवीं अनुसूची](#), [जमींदारी प्रथा](#)

मेन्स के लयि:

भारत में भूमिसुधार, मौलिक अधकार बनाम संवैधानिक संशोधन

[स्रोत: IE](#)

चर्चा में क्यों?

[1951](#) मामला भारतीय सांवधानिक वधि में एक महत्त्वपूर्ण कषण था, जसिमें [प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951](#) को चुनौती दी गई थी, जसिसे [संपत्तिका अधकार](#) को सीमति कया गया था।

प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 क्या था?

■ प्रमुख प्रावधान:

- नौवीं अनुसूची: [भारतीय संवधान की नौवीं अनुसूची](#), जसिसे [प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951](#) द्वारा पेश कया गया था, में वे कानून सूचीबद्ध हैं जनिहें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, उनकी [न्यायिक समीक्षा](#) नहीं की जा सकती, जनिमें वशिष रूप से भूमिसुधार कानून शामिल हैं। मूल रूप से अनुसूची में **13 कानून** जोड़े गए थे।
- भूमिसुधारों का संरक्षण: संवधान में अनुच्छेद **31A** और **31B** जोड़े गए, जसिसे भूमिसुधार कानूनों, वशिष रूप से [संपदा अधगिरहण से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा](#) मली।
 - अनुच्छेद **31A**: इसके अनुसार भूमिसुधार से संबंधित किसी भी कानून को मौलिक अधकारों, वशिषकर [संपत्तिका अधकार \(अनुच्छेद 31\)](#) का उल्लंघन करने के कारण रद्द नहीं कया जा सकता।
 - अनुच्छेद **31B**: यह सुनिश्चित करता है कि [नौवीं अनुसूची](#) में नरिदषित कानून, भले ही उनका मौलिक अधकारों के साथ संघर्ष हो, वधिमान्य और प्रवर्तित रहेंगे।
- अन्य प्रविरतन: अनुच्छेद **19** के तहत प्रदत्त [वाक एवं अभवियक्तकी स्वतंत्रता](#) पर प्रतबिंध। सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लयि वधि नरिमाण की अनुमति प्रदान कर [जाति-आधारित आरक्षण](#) का सुदृढीकरण कया गया।

- संशोधन की आवश्यकता: यह भारत के [स्वतंत्रता के बाद के भूमिसुधार प्रयासों](#) के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण था, जसिका उद्देश्य बड़े भूसवामयियों ([जमींदारों](#)) की शक्त को सीमति करना और कसिनों को भूमिका पुनर्वितरण करना था।

शंकरि प्रसाद सहि देव बनाम भारत संघ मामला, 1951 क्या था?

- मामले की पृष्ठभूमि: पश्चिम बंगाल के एक जमींदार [शंकरि प्रसाद सहि देव](#) ने [प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951](#) को चुनौती दी, जसिके माध्यम से [संपत्तिका अधकार](#) को सीमति कया गया था।
 - पहले संशोधन में सरकार द्वारा [जमींदारों को बना मुआवजा दयि उनकी भूमिका अधगिरहण करने के अधकार](#) का प्रावधान कया गया था, जो मूल संवधान में प्रदत्त [मौलिक अधकारों {अनुच्छेद 19\(1\)\(f\) और अनुच्छेद 31}](#) के वपिरीत था।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम संशोधन को मान्य ठहराते हुए सरकार के पक्ष में नरिणय सुनाया।
 - न्यायालय ने [सामान्य वधि](#) (जसिमें मौलिक अधकारों का उल्लंघन नहीं कया जा सकता) और [संवैधानिक संशोधन](#) (मौलिक अधकारों में प्रविरतन कया जा सकता है) के बीच अंतर स्पष्ट कया।
 - अनुच्छेद **13(2)** के अनुसार [किसी भी "वधि" से मौलिक अधकारों को नहीं छीना जा सकता](#)। न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि [संवैधानिक संशोधन सामान्य "वधि" नहीं हैं](#), इसलयि उन्हें इस प्रतबिंध से छूट दी गई है।

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. कोहलियो केस में क्या अभनिरिधारति कथिया गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कन्यायकि पुनर्वलोकन संबधान के बुनयादी अभलिकषणों में प्रमुख महत्त्व का है? (2016)

प्रश्न. कृषविकास में भूमिसुधारों की भूमिका पर चर्चा कीजयि। भारत में भूमिसुधारों की सफलता के लयि उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजयि। (2016)

प्रश्न. भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उच्चति प्रतकिर और पारदर्शति का अधिकार अधनियिम, 2013 पहली जनवरी, 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधनियिम के लागू होने से कौन-से महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान नकिलेगा? भारत में औद्योगीकरण और कृषिपर इसके क्या परणाम होंगे? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/shankari-prasad-case-and-the-first-amendment-act>

